राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

हाल के वर्षों में भूगोलशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ-साथ तकनीकी और पेशेवर समूहों जैसे इंजीनियर, शहर-योजनाकारों, आर्किटेक्ट, परिवहन, स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण, अनुसंधान अध्ययन और शहरीकरण और इसके विभिन्न पहलुओं पर अन्य साहित्य प्रस्तुत किए गए हैं। व्यावहारिक रूप से मानवीय जरूरतों और विकास के परिणामी जटिलताओं के विस्तार की ओर संकेत करते हुए जीवन के आधुनिक अभिव्यक्तियों के अध्ययन के इस क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हर संकायों को लाया गया है। मानव पर्यावरण की गुणवत्ता पर और योजना और नीति निर्माण पर इन सभी शोधों का सम्मग प्रभाव अधिक से अधिक मामूली रहा है। शहरी मामलों के प्रबंधन के प्रभारी नीति निर्माता और कार्यकारी अंग व्यावहारिक मुद्दों और क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए सूचित निर्णय निर्माण के लिए कम मार्गदर्शन प्रदान करते हुए मोटे तौर पर शैक्षणिक रूप में अनुसंधान के उपलब्ध परिणामों पर ध्यान देते है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके लिए निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है-

(क) शहरी अध्ययन स्पष्ट रूप से बहु-विषयक हैं। किसी परिणाम के रूप में उन्हें एक अंतर-संकायी दृष्टिकोण-अलग-अलग विशेषज्ञता के संलयन के लिए बैठक स्थल की आवश्यकता होती है, जो शायद ही हो पाती है। अत्यधिक अंतर-संबंध के बिना तदर्थ तरीके से अध्ययन कराए जाते है। शहरी अनुसंधान में व्यावहारिक प्रयोग हेतु निरंतरता और एकीकरण की आवश्यकता है।

(ख) हालांकि अलग-अलग शोध निष्कर्ष उपयोगी, उचित और शैक्षणिक तथा तकनीकी दृष्टिकोण से उच्च गुणवत्ता के हैं, फिर भी अनुसंधान के उपयोग और सार्थक कार्रवाई कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए परिणामों में बदलने के लिए शायद ही कोई किया गया है।

(ग) सरकार और स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा निर्णय लेने के लिए एक सहायता के रूप में नीति और समस्या उन्मुख अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों तथा <u>योजना और विकास प्राधिकरणों</u> के प्रबंधकों के बीच शायद ही कोई बातचीत और संवाद हुआ है।

(घ) अक्सर अनुसंधान पैटर्न और अध्ययन डिजाइन पश्चिमी औद्योगीकृत सोसायटियों के अनुभवों, प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। उनमें प्रतिपादित सिद्धांत

होते हैं तथा उनके द्वारा अपनाई गई वे नीतियां और कार्यक्रम होते हैं जो या तो अप्रचलित हो गए हैं या हमारी शर्तों को लागू नहीं होती है। कुछ दृष्टिकोण, मानदंड और मानक आदर्श प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन अपेक्षित पर्यावरण में तत्काल एकीकरण के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अक्सर ग्रामीण संदर्भ उपेक्षित रह सकते हैं। देश के निवासियों: उनकी जड़ों, इतिहास और संस्कृति, रहन सहन, रीति-रिवाज, अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त अपनी सीमित साधनों और पता अनुभवों से अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया है।

भारत सरकार ने कुछ समय के लिए एक ऐसे संगठन को बढ़ावा देने के सवाल पर ध्यान दिया था जो शहरी और ग्रामीण एकीकृत योजना और विकास के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के बीच की खाई पाट सके। नवम्बर, 1975 में, कार्य और आवास मंत्रालय ने कुछ संगठनों के विभिन्न बैठकों के जानकार व्यक्तियों के विचारों को प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया कि राज्य सरकारों, शहरी और क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों और शहरी मामलों में रुचि रखने वाले अन्य एजेंसियों की भागीदारी के साथ भारत सरकार के समर्थन और प्रतिबद्धता के साथ "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" के नाम से एक स्वायत्त निकाय स्थापित किया जाए।

इस प्रकार, संस्थान को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा XXI के अंतर्गत 12 जनवरी, 1976 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एसोसिएशन ज्ञापन और संस्थान के नियम एवं विनियम संलग्न हैं।

उद्देश्य और कार्य

यह परिकल्पना की गई है कि प्रस्तावित संस्थान में शहरी और ग्रामीण परिवेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया जाएगा, नीति निर्माताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने में उनकी सहायता की जाएगी और राष्ट्रीय और राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों को उपलब्ध कराई जाएगी, क्षेत्रीय व्यवस्थाओं में शहरी और ग्रामीण की स्थिति का महत्वपूर्ण और उद्देश्यात्मक विश्लेषण किया जाएगा। महसूस किया गया है कि 'उद्देश्यात्मक रणनीति और कार्य योजना तैयार करने, विभिन्न मौजूदा संस्थानों में अध्ययन शामिल करने, इस तरह के अध्ययन और शोध के परिणामों का समन्वय करने और किए गए शोध का प्रयोग करने हेतु सरकार और सरकारी एजेंसियों को सलाह देने के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए'। इस प्रकार, राष्ट्रीय संस्थान एक उच्च स्तरीय निकाय होना चाहिए जिसमें शिक्षाविदों के साथ ही नीति निर्माण

और कार्यक्रम कार्यान्वयन के प्रभारी शामिल होने चाहिए ताकि अनुसंधानों के परिणामों को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। संस्थान राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में शहरी-ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर जारी अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देंगे।

संस्थान के कार्य प्रणाली में मानवीय पहलू - लोगों, समुदायों और उनके आवास पर ध्यान दिया जाएगा। प्रौद्योगिकी का प्रभाव और आजीविका की अनिवार्यता जो ग्रामीण लोगों उनकी संस्कृति, आदतों, मूल्यों और व्यवहार के मुताबिक परिवेश में ढ़ालती है, उसके लिए शहरी परिवेश के साथ टकराव के बजाय सुचारु और समायोजन सुरक्षित करने के लिए सावधानीपूर्वक अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता है। स्वस्थ वातावरण और बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाना है। प्रौद्योगिकी से प्रदूषण नहीं फैलता बल्कि जिस तरीके से इसका इस्तेमाल और परिणाम होता है, उससे यह देखना होगा कि शहरी परिवेश को लोगों की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए ताकि मानव व्यक्तित्व विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीबों के विकास और उन्नति के लिए अनिवार्य अवसर प्रदान कर न्यायसंगत बनाया जा सके– जैसाकि प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के रूप में परिलक्षित किया गया है।

संस्थान के तत्काल कार्यों को मोटे तौर पर निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता हैः

(1) भारत में नीति और कार्यक्रम उन्मुख शहरी अनुसंधान के लिए संदर्भ के व्यापक रूपरेखा की तैयारी। इसका तात्पर्य संबद्ध अंतरालों को भरने तथा किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता देने की दृष्टि से अभी तक मौजूदा एजेंसियों द्वारा आयोजित अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करना है;

(2) अनुसंधान का समन्वय करना और अध्ययनों के परिणामों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना क्षेत्र की समस्याओं में उनके प्रयोग में अनुसंधान, शहरी क्षेत्रों के व्यावहारिक समस्याओं से संबंधित अनुसंधान; और कार्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए कार्रवाई संबंधी अनुसंधान;

(3) नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को विकसित करने हेतु उद्देश्यात्मक विचार-विमर्श के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं और अन्य साधनों की व्यवस्था कर आवश्यक मंच प्रदान करते हुए प्रशासनिक और विधायी दोनों निर्णयकर्ताओं को आम जनता के लिए एकीकृत ग्रामीण-शहरी योजना और विकास की संभावनाओं को दर्शाना;

(4) किसी पत्रिका के प्रकाशन सहित विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए ग्रामीण शहरी प्रक्रियाओं के बारे में सूचना और ज्ञान का संग्रह, विश्लेषण और प्रसार; और प्रलेखन केन्द्र का क्रमिक विकास।

कार्य पद्धतियां

आज शहरी अध्ययन का कुल मानव पर्यावरण के साथ संबद्ध विभिन्न विषयों के व्यापक क्षेत्रव्यापी विस्तार है। शहरी मामलों के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षित और अनुभवी अनुसंधान कर्मियों की कमी है। किसी भी संगठन में इतनी बड़ी और विविध संकाय की उम्मीद नहीं की जा सकती जो मानव आवास के सभी पहलुओं को संभाल सके। इस प्रकार, संस्थान का गठन एकीकृत ग्रामीण-शहरी योजना और विकास की समस्याओं से निपटने के लिए नए विचारों का सृजन और अभिनव सोच को बढ़ावा देने के लिए बुद्धिजीवियों और पेशेवरों- शैक्षणिक संस्थानों और क्षेत्र एजेंसियों को एक साथ लाने पर जोर देते हुए साधारण कोर अनुसंधान स्टाफ के साथ परंपरागत तर्ज पर किया जाएगा।

संस्थान देश में मौजूदा सक्रिय संस्थाओं और विशेष एजेंसियों के साथ ही व्यक्तिगत विशेषज्ञों के सहयोग लेते हुए 'विशेषज्ञता की पूलिंग' पर लक्ष्य बनाएगा। अपेक्षित विचार-विमर्श के बाद उच्च स्तरीय जांच और सलाह के लिए संस्थान द्वारा अभिज्ञात किए गए शोध अध्ययनों का कार्य उच्च रैंकिंग वाले विशेषज्ञों और अंतर-संकायी विशेषज्ञों की टीमों को सौंपा जाएगा।

संस्थान के कामकाज की विशेषता न केवल सहयोग होगा बल्कि सरकार और निम्नलिखित में विशेषज्ञ शहरी प्राधिकरणों के वरिष्ठ प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों का सहयोग और भागीदारी भी होगाः

(क) अध्ययन के लिए कार्यों और क्षेत्रों की पहचान;

(ख) समस्या उन्मुख अनुसंधान का संचालन; और

(ग) व्यावहारिक कार्यक्रमों और परियोजनाओं का विकास।

अध्ययन पैनलों और कार्य समूहों से शिक्षाविदों, पेशेवरों और अनुभवी अधिकारियों के बीच बातचीत सुनिश्चित होगा; इस प्रकार संस्थान के कार्य प्रणाली में यथार्थवाद और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

संक्षेप में, संस्थान से उन कारकों का अध्ययन करने की उम्मीद है जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौहार्दपूर्ण माहौल में लोगों का जीवन खुशहाल होगा। संस्थान का यह प्रयास होगा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानकार और समर्पित व्यक्तियों को शामिल किया जाए और इस अद्भूत कार्य में सहायता करने के लिए अपने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट सदस्यों को आगे लाया जाए।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का सहयोग ज्ञापन

1. सोसायटी का नाम "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" है जो इसके बाद "संस्थान" के रूप में संदर्भित है।

2. संस्थान का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित होगा।
वर्तमान में यह पहला तथा दूसरा तल, कोर 4 बी, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

3. संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(क) भारत में मानव बस्तियों और शहरी तथा क्षेत्रीय विकास से संबंधित शहरीकरण, ग्रामीण-शहरी संबंध, प्रशासन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अध्ययन करने, बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए एक स्वायत्त वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्य करना;

(ख) शहरी समस्याओं के उन्नत अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना और आवश्यक प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना तथा इसको बढ़ावा देना;

(ग) केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा शहरी विकास और संबद्ध क्षेत्रों की समस्याओं से संबंधित उचित नीतियां और कार्यक्रमों बनाने की पहल करना और इसमें सहायता करना;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास की तुलना में नीतियों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के सामाजिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य पहलुओं का अध्ययन करना;

(ङ) सरकार और जनता, स्थानीय अधिकारियों, विधायिका और शैक्षणिक, औद्योगिक और व्यापारिक समुदायों के सदस्यों के बीच शहरी मामलों पर बातचीत को

मजबूत बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करना;

(च) शहरी मामलों के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता जुटाना और आवश्यक पारिश्रमिक के भुगतान के साथ अथवा इसके बिना तकनीकी और परामर्श सेवाओं का प्रस्ताव तथा समन्वय करना;

(छ) पुस्तकालयों की स्थापना और अनुरक्षण करना तथा जानकारी के एक क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना, प्रलेखन केन्द्र का संचालन करना और शहरी मामलों के बारे में जानकारी का प्रसार करना;

(ज) समाचारपत्र, शोध पत्र, पुस्तकों, पत्रिकाओं, जर्नल, बुलेटिनों, पर्चे, मोनोग्राफ, पोस्टर और शहरी मामलों से संबंधित अन्य साहित्य का प्रकाशन और वितरण को सुविधाजनक बनाना;

(झ) शहरीकरण, शहरी पर्यावरण और शहरी विकास और प्रशासन से संबंधित मामलों में अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, सेमिनारों, व्याख्यान, अनुसंधान और जांच का आयोजन करना और इसे सुविधाजनक बनाना;

(ट) संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय, राज्य या स्थानीय केन्द्रों का गठन करना अथवा गठन करवाना अथवा मान्यता देना;

(ठ) सम्मेलनों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित समझे जाने पर प्रतिनिधियों को नियुक्त करना जिसमें संस्थान भारत और विदेशों में रुचि रखता हो;

(ड) नकद या प्रतिभूतियों में और किसी भी चल या अचल संपत्ति के लिए कोई अनुदान, उपहार, दान और अंशदान स्वीकार करना;

(ण) संस्थान की सामग्रियों के समान, अनुरूप या तुलनीय सामग्रियों के साथ किसी ट्रस्ट निधि अथवा बंदोबस्ती के प्रबंधन को स्वीकार करना;

(त) संस्थान के प्रतिभूतियों, बांड, डिबेंचर, वचन पत्र या अन्य दायित्वों के उद्देश्यों के लिए संस्थान की प्रतिभूतियों या संस्थान की संपत्ति पर बंधक या प्रभार द्वारा यथा अपेक्षित धनराशि उधार लेना अथवा जुटाना;

(थ) संस्थान के उद्देश्य के लिए उससे संबंधित सभी अधिकारों के साथ उपहार, खरीद, आदान-प्रदान, पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा, किसी भी भूमि, भवन, अथवा अन्य अचल संपत्ति के माध्यम से प्राप्त करना;

(द) संस्थान की वस्तुओं को आगे बढ़ाने के लिए इसमें परिवर्तन, साज-सज्जा और सुधार के अधिकार सहित भवनों का निर्माण और रखरखाव करना;

(ध) संस्थान के किसी अथवा सभी चल और अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन, बिक्री, हस्तांतरण, बंधक, पट्टे पर देना, आदान-प्रदान करना अथवा निपटान करना;

(न) संस्थान के कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णकालिक या अंशकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा इस संबंध में निर्मित नियमों में यथानिर्धारित परिलब्धियां, भत्ते और सेवा लाभ प्रदान करना;

(प) संस्थान के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामग्रियों उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के सभी कार्य करना जो अनुकूल या आकस्मिक हो।

4. शासी निकाय के वर्तमान सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और पदनाम जिसे संस्थान के प्रबंधन और मामलों को सौंपा गया है जैसाकि 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) की धारा 2 के तहत अपेक्षित है, जैसाकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया है, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	*नाम, पूरा आवासीय पता*	*व्यवसाय*	*पदनाम*
1.	श्री भगवान सहाय सी-31, एनडीएसई-II, नई दिल्ली।	मानव प्रबंधन	संस्थान के अध्यक्ष
2.	श्री एस. भूठालिंगम, बी-5, वसंत विहार, नई दिल्ली।	सेवानिवृत नौकरशाह	संस्थान के उपाध्यक्ष
3.	श्री जे.आर. भल्ला, 5, सुंदर नगर, नई दिल्ली। काउंसिल	वास्तुविद	शासी के सदस्य
4.	श्री जगमोहन, डीडीए फ्लैट-बंग्ला नं. 1, भगवान दास रोड़ नई दिल्ली।	सेवा	"
5.	प्रो. पी.बी. देसाई, ए/5, आर्थिक विकास संस्थान, कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	अर्थशास्त्री	"
6.	डॉ आशिष बोस, वार्डन हाउस, आर्थिक विकास संस्थान, कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	प्रोफेसर (शहरी अध्ययन)	"
7.	श्री पी.एल. वर्मा 28, क्षेत्र 5, चंडीगढ़	इंजीनियर	"
8.	श्री सी.एस. चंद्रशेखर, II-ई-255, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	शहरी और क्षेत्रीय नियोजक	"
9.	श्री सैयद एस. शफ़ी, 18-सी-II, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।	शहरी नियोजक	"
10.	प्रो. देवा राज, फ्लैट नं. 8, आईआईपीए कैम्पस, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।	शहरी कार्यों में सलाहकार	संस्थान के निदेशक

5. संस्थान के नियमों की एक प्रति, शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सत्य और सही प्रति प्रमाणित एसोसिएशन ज्ञापन के साथ सोसायटियों के रजिस्ट्रार के साथ दायर की गई है।

6. हम, अधोहस्ताक्षरी एसोसिएशन ज्ञापन के अनुसरण में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिए गए अनुसार 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, XXI (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के नाम से एक सोसायटी का गठन करने के लिए इच्छुक हैं तथा हम एतद द्वारा 10 दिसंबर, 1975 को नई दिल्ली में हमारे कई और संबंधित सदस्य निर्धारित करते हैं।

क्र.सं.	*नाम, पूरा आवासीय पता*	*व्यवसाय*	*हस्ताक्षर*
1.	श्री भगवान सहाय सी-31, एनडीएसई-II, नई दिल्ली।	मानव प्रबंधन	ह/-
2.	श्री एस. भूठालिंगम, बी-5, वसंत विहार, नई दिल्ली।	सेवानिवृत नौकरशाह	"
3.	श्री जे.आर. भल्ला, 5, सुंदर नगर, नई दिल्ली। काउंसिल	वास्तुविद	"
4.	श्री जगमोहन, डीडीए फ्लैट-बंग्ला नं. 1, भगवान दास रोड़ नई दिल्ली।	सेवा	"
5.	प्रो. पी.बी. देसाई, ए/5, आर्थिक विकास संस्थान, कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	अर्थशास्त्री	"
6.	डॉ आशिष बोस, वार्डन हाउस, आर्थिक विकास संस्थान, कैम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	प्रोफेसर (शहरी अध्ययन)	"
7.	श्री पी.एल. वर्मा	इंजीनियर	"

28, क्षेत्र 5, चंडीगढ़

8.	श्री सी.एस. चंद्रशेखर, II-ई-255, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली	शहरी और क्षेत्रीय नियोजक	"
9.	श्री सैयद एस. शफ़ी, 18-सी-II, तिलक मार्ग, नई दिल्ली।	शहरी नियोजक	"
10	प्रो. देवा राज, फ्लैट नं. 8, आईआईपीए कैम्पस, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।	शहरी कार्यों में सलाहकार	"

गवाह

प्रमाणित हस्ताक्षर 1 से 10 तक उपर्युक्त और पूर्व पृष्ठ पर।

ह/- 10.12.75
(भास्कर नारायण रहलकर)
नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम आयोजना संगठन
स्वास्थ्य एफ.पी.डब्ल्यू.एच. तथा यू.डी. मंत्रालय

प्रमाणित किया जाता है कि यह हमारे एसोसिएशन ज्ञापन की सही प्रतिलिपि है जैसाकि 23 फरवरी 1976 को आयोजित विशेष आम सभा की बैठक में पारित किया गया और 26 मार्च, 1976 को इस बात की पुष्टि की गई।

1. श्री जे.आर. भल्ला, 5, सुंदर नगर, नई दिल्ली *ह/-*
2. प्रो. पी.बी. देसाई, ए/5, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली *ह/-*
3. श्री पी.एल. वर्मा, 28, सेक्टर 5, चंडीगढ़। *ह/-*

"राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" के नियम और विनियम

शीर्षक

1. इन नियमों को "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" के नियम कहा जाएगा जो इसके बाद संस्थान के रूप में संदर्भित है।

मुख्यालय

2. संस्थान का मुख्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अवस्थित होगा।

परिभाषाएं

3. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा में अपेक्षित होगा: -

3. "संस्थान" का तात्पर्य राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान है।

(क)"1860 का अधिनियम, XXI का तात्पर्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) है जैसाकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिया गया है।

(ख) "शासी परिषद" का तात्पर्य संस्थान के शासी परिषद है, जैसाकि नियम 9 के तहत गठित है।

(ग)"अध्यक्ष" का तात्पर्य संस्थान के अध्यक्ष है।

(घ)"उपाध्यक्ष" का तात्पर्य संस्थान के उपाध्यक्ष(ओं) है।

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य संस्थान के निदेशक है।

(च)"अधिकारिक वर्ष" का तात्पर्य किसी विशेष वर्ष के 1 अप्रैल से और आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त सरकारी वित्तीय वर्ष है।

सामान्य निकाय और सदस्यता

सामान्य निकाय

4. संस्थान के सामान्य निकाय में नियम-5 में निर्दिष्ट अलग-अलग श्रेणियों के सभी सदस्य शामिल होंगे।

सदस्यता

5. (1) संस्थान की सदस्यता में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगी:

(क) i. संस्थापक सदस्यः

एसोसिएशन ज्ञापन के सभी अलग-अलग हस्ताक्षरी

ii. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और गोवा, 1,00,000 रुपये फाउंडेशन अनुदान का भुगतान करने पर और अन्य अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, 50,000 रुपए फाउंडेशन अनुदान का भुगतान करने पर तथा मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादरा एवं नगर हवेली, 25,000 रुपए फाउंडेशन अनुदान का भुगतान करने पर। इस तरह के संस्थापक सदस्य जो फाउंडेशन अनुदान का भुगतान करते हैं वे आम सभा के लिए दो प्रतिनिधियों को मनोनीत करने के हकदार हो सकते हैं।

(ख) <u>पदेन सदस्यः</u>

समय समय पर नामित भारत सरकार के तीन प्रतिनिधि संस्थान के सामान्य निकाय के पदेन सदस्य होंगे।

(ग) <u>संरक्षक सदस्य:</u>

कम से कम 10,000 रुपए प्रति वर्ष अंशदान करने वाले शहरी प्राधिकारी और संगठन सोसायटी के संरक्षक सदस्य होंगे और सामान्य निकाय के लिए एक प्रतिनिधि मनोनीत करने के हकदार हो सकते हैं।

(घ) <u>कंपनी के सदस्य:</u>

निदेशक कॉरपोरेट सदस्यों के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं:-

(1) क) अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को 500/- रुपए प्रवेश शुल्क और 500/- वार्षिक अंशदान का भुगतान करना होगा। आजीवन सदस्यता प्राप्त करने के लिए 500/- का वार्षिक शुल्क और 2500/- का एकमुश्त राशि।

ख) एक लाख से अधिक की आबादी वाले नगर निगम, विकास प्राधिकरण, केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी विभाग, स्वायत्त बोर्ड, चैरिटेबल ट्रस्ट, संयुक्त स्टॉक कंपनी और विनिर्माण या व्यापार का कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान या कोई भी संगठन जो संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्यों में रुचि रखते हैं, 5000/- रुपए का प्रवेश शुल्क और 2500/- रुपए वार्षिक सदस्यता या आजीवन सदस्यता के लिए 5000/- का भुगतान तथा प्रवेश शुल्क तथा आजीवन सदस्यता के लिए 15000- रुपए का एकमुश्त राशि।

ख) i. एक लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका 1000/- रुपए का प्रवेश शुल्क और 1000/- रुपए वार्षिक सदस्यता या आजीवन सदस्यता के लिए 1000/- रुपए का प्रवेश शुल्क और आजीवन के लिए 5000/- रुपए की एकमुश्त राशि।

ii. वर्ग III/सी तथा उससे नीचे के नगरपालिकाओं के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 500/- रुपए तथा वार्षिक सदस्याता के लिए 500/- रुपए, या आजीवन सदस्यता के लिए 500/- रुपए प्रवेश शुल्क तथा आजीवन सदस्यता के लिए 2500/- रुपए की एक मुश्त राशि।

उपरोक्त श्रेणियों में कॉर्पोरेट सदस्यता सामान्य निकाय के लिए एक प्रतिनिधि मनोनीत करने के हकदार हो सकते हैं।

(ङ) <u>व्यक्तिगत सदस्य:</u>

संस्थान समय-समय पर कुछ लोगों को आमंत्रित कर सकता है जिनके पास सदस्य बनने के लिए संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट या विशेष ज्ञान हो तथा ऐसे व्यक्तियों से केवल 50 रुपए का वार्षिक शुल्क वसूल किया जा सकता हैं।

(2) लागू नियम और शर्तों और सदस्यों के विभिन्न श्रेणियों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने का तरीका समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और दो या तीन संस्थापक सदस्य शामिल होंगे।

सदस्यों की नामावली

6. i. संस्थान सदस्यता के लिए आवेदन पत्र में दिए गए उनके पूरा पता का उल्लेख करते हुए सदस्यों की नामावली का रखरखाव करेगा जिन्हें नियुक्त किया गया है और जिन्होंने अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है।

ii. जब कभी भी कोई सदस्य अपने पते में परिवर्तन करता है तो वह संस्थान के निदेशक को अपने नए पते के बारे में सूचित करेगा, लेकिन अगर वह सूचित करने के लिए विफल रहता है, तो सदस्यों की नामावली में दर्ज पता ही बैध माना जाएगा।

iii. संरक्षक सदस्यों और कंपनी के सदस्यों के अधिकारों का प्रयोग संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा, जिनका नाम समय-समय पर लिखित रूप में निदेशक को अधिसूचित किया जाएगा।

iv. जब कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित कार्यालय की हैसियत से संस्थान या उसके शासी परिषद का सदस्य है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, जब वह उस

कार्यालय का धारण करना बंद कर देता है तो उनके उत्तराधिकारी रिक्ति को भरा जाएगा।

v. संस्थान का कोई सदस्य निदेशक को संबोधित पत्र द्वारा इस्तीफा दे सकता है, लेकिन उसका इस्तीफा केवल शासी परिषद द्वारा स्वीकृति पर ही प्रभावी होगा।

vi. 1860 के अधिनियम XXI की धारा 15 के अनुसार, संस्थान के सभी कार्यवाही में, कोई भी व्यक्ति वोट करने या उसके रूप में गिना जाने का हकदार नहीं होगा जिसका सदस्यता शुल्क तीन महिने से अधिक की अवधि से बकाया हो।

vii. संस्थान के किसी सदस्य के मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होने पर या किसी आपराधिक मामले का दोषी होने पर संस्थान में उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।

संस्थान के पदाधिकारी

7.(i) संस्थान के पदाधिकारी निम्नानुसार होंगेः-

(क) इस संबंध में सामान्य निकाय की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष का किया जाएगा।

(ख) सामान्य निकाय द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष में चुने गए दो उपाध्यक्ष से अधिक नहीं होंगे।

(ग) सरकार के अनुमोदन से संचालन परिषद द्वारा नियुक्त निदेशक। उनके कार्यालय का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें संचालन परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकता है।

(घ) गवर्निंग काउंसिल द्वारा समय-समय पर नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारी।

7. (ii) उप नियम (i) के प्रावधानों के बावजूद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक, जिनके नाम एसोसिएशन ज्ञापन के खंड 4 में निर्धारित किया गया हैं, उस समय तक पद पर बने रहेंगे जब तक कोई नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं होता तथा इन नियमों के तहत कोई दूसरा निदेशक नियुक्त नहीं होता।

संस्थान की बैठक

8. 1. <u>वार्षिक आम बैठकः</u>

संस्थान के सामान्य निकाय की बैठक का आयोजन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर वर्ष में एक बार होगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:-

क. नियुक्ति के लिए सरकार को अध्यक्ष के नाम की सिफारिश करना, और दो साल की अवधि के लिए उपाध्यक्षों का चुनाव करना;

ख. नियम 9 के अनुसार संचालन परिषद के दस सदस्यों का चुनाव करना;

ग. प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना;

घ. संस्थान के वार्षिक खातों के साथ वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना;

ङ. किसी भी अन्य विषय पर विचार करना जिसमें निदेशक को लिखित रूप में 7 दिन का अग्रिम नोटिस दिया गया हो तथा अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी अन्य सहायक विषय लाया जा सकता है।

2. <u>असाधारण आम बैठकः</u>

अध्यक्ष संस्थान के सदस्यों के पांचवें भाग की लिखित मांग पर संस्थान के असाधारण आम बैठक बुला सकता है। संस्थान के सदस्यों द्वारा किया गया प्रत्येक मांग में तथ्यों को व्यक्त किया जाएगा जिसके लिए बैठक बुलाया जाना प्रस्तावित है और जिसे निदेशक के पते पर छोड़ दिया है या उसके पते पर भेजा जाएगा। इस तरह का कोई भी ऐसी माँग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श के बाद निदेशक संस्थान की बैठक बुलाएगा। सभी असाधारण आम सभा की बैठकों में, राष्ट्रपति की अनुमति को छोड़कर माँग की नोटिस में बताए गए विषय के अलावा किसी भी अन्य विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी।

3. <u>नोटिसः</u>

संस्थान की बैठक बुलाने का प्रत्येक सूचना में तारीख, समय और जगह का उल्लेख होगा जहां ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी और इस तरह के किसी भी बैठक के लिए निर्धारित दिन की सूचना संस्थान के हर सदस्य कम से कम पंद्रह

दिन पहले दी जाएगी।

4. <u>कोरम:</u>

सामान्य निकाय की बैठक के लिए किसी भी 10 सदस्यों के दल की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

5. <u>बैठक के अध्यक्षः</u>

अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्षों में से एक और उनकी अनुपस्थिति में वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य द्वारा सामान्य निकाय के बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

6. <u>बहुमत द्वारा निर्णयः</u>

संस्थान के सामान्य निकाय के समक्ष सभी मामलों पर वहां उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी का एक निर्णायक मत होगा।

शासी परिषद

9. शासी परिषद की संरचना

(1) 1860 के अधिनियम XXI के प्रयोजनों *के* लिए संस्थान की शासी परिषद में सदस्य और पदाधिकारी शामिल होंगे, जिनके नाम एसोसिएशन ज्ञापन के खंड 4 में निर्धारित होगा। *पदाधिकारियों को छोड़कर गवर्निंग काउंसिल के सदस्य की संख्या,* हालांकि, बढ़ोत्तरी कर पन्द्रह किया जा सकता है और इस प्रकार उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शासी परिषद द्वारा सह-विकल्प द्वारा भरा जा सकता है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य 31 मार्च 1977 तक या इस तरह के पहले की तारीख तक पद पर बने रहेंगे, क्योंकि नई गवर्निंग काउंसिल का गठन इस प्रकार किया गया है:-

(क) नियम 7(i) (क और ख) के अनुसार, सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष तथा सामान्य निकाय द्वारा निर्वाचित संस्थान के उपाध्यक्षों की नियुक्त।

(ख) कोई पूर्व-पदेन सदस्य, जो वित्त मंत्रालय/शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग का प्रतिनिधि होगा, जिसे वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा।

(ग) संस्थान के उपस्थित सदस्यों द्वारा नौ व्यक्तियों का चयन तथा सामान्य

निकाय की बैठक में मतदान द्वारा किया जाएगा ताकि उनमें से कम से कम आठ संस्थापक, संरक्षक, पदेन या कॉर्पोरेट सदस्यों की श्रेणियों से लिए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष का होगा; बशर्ते कि पहले चुनाव में, आधे सदस्यों की संख्या का चयन दो वर्ष के लिए किया जाएगा।

(घ) विभिन्न विषयों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी जैसाकि आम सभा की वार्षिक बैठक में आयोजित नए चुनाव के समय तिथि को समाप्त अवधि के लिए शासी परिषद द्वारा चयन किया जा सकता है।

(ङ) निदेशक शासी परिषद का पदेन सदस्य सचिव होंगे।

(2) मृत्यु, इस्तीफे या सदस्यता की समाप्ति या किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के बीच किसी भी आकस्मिक रिक्ति को रिक्ति के कारण कार्यालय के कार्यकाल की असमाप्त हिस्से के लिए शासी परिषद द्वारा चयन कर भरा जा सकता है।

10. यथा अपेक्षित, 1860 के अधिनियम XXI की धारा 4 के तहत इन नियमों के अनुसार अगले चौदहवें दिन या उससे पहले वर्ष में एक बार संस्थान की वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया जाता है, तो संचालन परिषद के सभी सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की सोसायटी के रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी।

शासी परिषद की शक्तियां

11. संस्थान के कार्य, धनराशि, सम्पत्ति और समपदाओं का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संचालन परिषद में निहित होगा, जो सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी कार्य करेगा जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक और समीचीन हो सकता है।

संस्थान द्वारा और के खिलाफ सूट

12. गवर्निंग काउंसिल 1860 के अधिनियम XXI की धारा 6 के अनुसार संचालन परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किए गए सभी कार्यों को निदेशक या इस तरह के अन्य अधिकारी के माध्यम से सभी कानूनी कार्यवाही की रक्षा कर सकता है।

उप-नियम

13. संचालन परिषद के पास इस तरह की उपविधियों बनाने की शक्ति होगी जैसा कि संस्थान के व्यापार विशेष रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा की उनकी शर्तें, बजट अनुमान की तैयारी और मंजूरी, व्यय की मंजूरी, अनुबंध करने तथा संस्थान के निधियों का निवेश के नियमन के लिए उचित समझेगा, बशर्ते कि (i) पदों की पारिश्रमिक की संरचना अर्थात वेतनमान और भत्तें तथा उनका संशोधन, और (ii) समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट वेतनस्तर के ऊपर अतिरिक्त पदों का सृजन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श से शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के अनुमोदन के बाद ही लागू होगा। बशर्ते कि इसके अलावा, विशिष्ट पदों के लिए अपेक्षित अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए पदों और परियोजना परामर्शदाताओं के पदों के सृजन के लिए तथा ऐसे पदों में नियुक्ति के नियम व शर्तों के लिए भी व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

बंदोबस्ती आदि की स्वीकृति

14. शासी परिषद किसी भी बंदोबस्ती, ट्रस्ट या दान-प्रदान का प्रबंधन स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि इसमें कोई असंगत शर्त शामिल न हो या सोसायटी की वस्तुओं के विपरित न हो।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

15. शासी परिषद संकल्प द्वारा अध्यक्ष, निदेशक, किसी भी अधिकारी या किसी समिति या उप-समिति को सौंप सकती है जो कारोबार के संचालन के लिए अपनी शक्तियों से तैयार हो सकता है जैसाकि यह उचित समझे।

समितियों और अध्ययन पैनल

16. शासी परिषद के संकल्प द्वारा नियुक्त कर सकता है:

    (क) ऐसे प्रयोजनों के लिए और इस तरह की शक्तियों के साथ समितियां जैसाकि शासी परिषद उचित समझे और ऐसी समितियों के लिए प्रक्रिया के नियमों का निर्माण करें; तथा

    (ख) विशेष क्षेत्रों में अध्ययन और जांच के लिए और उनके कार्य के लिए आवश्यक प्रावधान करने के लिए 'विशेषज्ञ पैनलों और विशेषज्ञ कार्य समूह' अगर गैर-

सदस्यों से आवश्यक समझा गया।

17. (1) *शासी परिषद की बैठक बुलाने की विधिः* अध्यक्ष स्वयं या संकल्प के माध्यम से उसके द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित होने पर निदेशक किसी भी समय ऐसी मांग की प्राप्ति पर शासी परिषद की बैठक बुलाता है और निदेशक ऐसी बैठक करेगा।

(2) *शासी परिषद की बैठक की सूचनाः* शासी परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना शासी परिषद के प्रत्येक सदस्यों को कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी।

(3) *पीठासीन प्राधिकारीः* शासी परिषद की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी। अगर किसी भी बैठक में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी एक सदस्य द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।

(4) *कोरमः* शासी परिषद के व्यक्तिगत रूप से किसी भी उपस्थित पांच सदस्यों द्वारा शासी परिषद के किसी भी बैठक का कोरम तैयार होगा।

(5) *वोट के बहुमत से निर्णयः* शासी परिषद की बैठक में सभी मामलों पर वहां उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा निर्णय लिया जाएगा और मत बराबर होने के मामले में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत किया जाएगा, बशर्ते कि नियम 9 के खंड (1) के उप-खंड (ख) के अनुसार नामित पदेन सदस्य और शासी परिषद के अध्यक्ष के बीच किसी वित्तीय मामले जो शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी गई शक्ति से बाहर होगा उस पर असहमति की स्थिति में मामले पर निर्णय लेने के लिए इसे शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को भेजा जाएगा।

(6) *परिपत्रों द्वारा व्यवसायः* कोई भी व्यवसाय जो शासी परिषद के लिए अनिवार्य हो सकता है, उसे इसके सभी सदस्यों के बीच परिचालन के माध्यम से लेन देन करने के लिए सदस्यों के बहुमत द्वारा परिचालित और अनुमोदित कोई भी संकल्प प्रभावी तथा बाध्यकारी होगा और यह माना जाएगा कि ऐसे संकल्प को शासी परिषद की बैठक में पारित किया गया था।

निदेशक की शक्तियां

18. निदेशक शासी परिषद के निर्देश और मार्गदर्शन में संस्थान के मामलों के समग्र देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा। वह इसके उद्देश्यों, तकनीकी और और शैक्षणिक शीर्ष

को आगे बढ़ाने में किए गए संस्थान के कार्य को विनियमित करेगा। वह संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सभी प्रशासनिक शुल्कों के लिए जिम्मेदार होगा, शैक्षिक, व्यावसायिक और अन्य स्टाफ को नियंत्रित करेगा तथा शासी परिषद द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

वित्त

संस्थान की निधियां

19. संस्थान के धनराशि में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार या योजना और विकास प्राधिकरण, नगर निगम या अन्य स्थानीय निकायों द्वारा किए गए अनुदान;

(ख) अन्य स्रोतों से दान तथा अंशदान;

(ग) सदस्यता शुल्क और सब्स्क्रिप्शन्स;

(घ) इसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए संस्थान द्वारा लगाए गए शुल्क और प्रभार;

(ङ) निवेश, संपत्ति और अन्य संपदाओं से आय;

(च) प्रकाशन और अन्य स्रोतों से आय और प्राप्तियां।

रिजर्व धनराशि या विशेष धनराशि

20. शासी परिषद निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और संस्थान की गतिविधियों के प्रगतिशील वित्तपोषण के लिए किसी भी आय, निधि, ऋण, दान, अनुदान और योगदान में से रिजर्व धनराशि या विशेष धनराशि को अलग रख सकता है। इस तरह के धनराशि के किसी भाग को निर्दिष्ट के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

बैंकर, लेखा एवं लेखा परीक्षा

21. (1) संस्थान के बैंकर एतद द्वारा गठित बैंक या समय-समय पर शासी परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित बैंक होगा। सभी पैसे बैंक में संस्थान के खाते में या नियुक्त बैंक में रखे जाएंगे और निदेशक द्वारा या ऐसे अधिकारी

या संस्थान के अधिकारियों द्वारा या उसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए चेकों के माध्यम के अलावा नहीं निकाला जाएगा जैसाकि शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) संस्थान के खातों का सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया जाएगा। लागू किए जाने वाले लेखापरीक्षा का स्वरूप और खातों के रूप और उनका रखरखाव और खातों की प्रस्तुती के संबंध में किए जाने वाले विस्तृत प्रबंध के बारे में शासी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारण किया जाएगा।

(3) संस्थान के वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ-साथ वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान किए गए सभी कार्य पर कार्यवाही की रिपोर्ट सदस्यों की जानकारी के लिए शासी परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और वार्षिक आम बैठक में संस्थान के सामान्य निकाय के समक्ष रखा जाएगा।

सामान्य

22. (1) संस्थान या शासी परिषद के सामान्य निकाय के किसी भी कार्यवाही के मामले के अनुसार महज किसी रिक्ति या संस्थान या शासी निकाय के गठन में किसी कमी के कारण अमान्य नहीं समझा जाएगा।

(2) इन नियमों में उपलब्ध चयन या उप-विकल्प के सभी मामलों में- संबंधित व्यक्ति मामले के अनुसार पुनःचयन या पुनः उप-विकल्प के लिए पात्र होंगे।

(3) हालांकि, संस्थान में प्राप्त आय और सम्पत्ति का पूरी तरह से एसोसिएशन ज्ञापन में निर्धारित संस्थान के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दिशा में लगाया जाएगा। संस्थान के आय और संपत्ति के किसी भी हिस्से का लाभांश, बोनस या अन्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को लाभ के रूप में भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा जो कभी संस्थान के सदस्य रहे हो या उनमें से किसी के माध्यम से कोई दावा नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इसमें से कोई भी यात्रा भत्ता, ठहरने का भत्ता और अन्य समान प्रभार के लिए संस्थान को दी गई सेवाओं के बदले किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति को पारिश्रमिक के रूप में भुगतान करने से नहीं रोकेगा।

सूचना की तामील

23. (1) व्यक्तिगत रूप से या सदस्यों के रोल में उल्लेख किए गए उसकी/उसके पते पर पोस्ट के माध्यम से संस्थान के किसी भी सदस्य को एक नोटिस दिया जा सकता है।

(2) पोस्ट के माध्यम से दी गई कोई भी सूचना उस तिथि के अगले दिन दी गई मानी जाएगी जैसाकि पत्र, लिफाफा या आवरण पर उसका उल्लेख होगा और इससे साबित होगा कि इस तरह की सेवा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा कि इस तरह की सूचना वाले कवर में उचित रूप से पता लिखा गया था तथा डाकघर में डाल दिया गया था।

संस्थान के उद्देश्यों में से परिवर्तन या विस्तार

24. जिस उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी उसे संस्थान द्वारा बदला या विस्तार किया जा सकता है:-

(क) अगर शासी परिषद इस तरह के परिवर्तन या विस्तार के लिए लिखित या मुद्रित रिपोर्ट में संस्थान के सदस्यों को उपरोक्तानुसार कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा;

(ख) अगर शासी परिषद उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इन नियमों के अनुसार संस्थान के सदस्यों की एक सामान्य आम सभा की बैठक बुलाएगा;

(ग) यदि उपरोक्तानुसार इस तरह के सामान्य आम बैठक में स्पष्ट रूप से चौदह दिन पहले संस्थान के प्रत्येक सदस्य को डाक द्वारा इस तरह का रिपोर्ट देता है या भेजता है;

(घ) अगर उपरोक्तानुसार इस तरह के सामान्य आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से संस्थान के तिहाई-पांचवें सदस्यों के वोट द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है; तथा

(ङ) अगर पिछली बैठक के बाद एक महीने के अंतराल पर शासी परिषद द्वारा बुलाई गई दूसरी असाधारण सामान्य बैठक में उपस्थित तिहाई-पांचवें सदस्यों के वोट द्वारा ऐसे प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है।

नियमों के संशोधन

25. परिषद की बैठक जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई है, में उपस्थित शासी परिषद के सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत और वोट के माण्यम से पारित संकल्प द्वारा किसी भी समय संस्थान के नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है जो इस उद्देश्य के लिए आयोजित संस्थान के सामान्य निकाय की बैठक में पुष्टि के आधारित

होगा।

26. संस्थान अपने आम निकाय की बैठक में उपस्थित संस्थान के सदस्यों के बहुमत तथा वोटिंग द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से इसको परिवर्तित कर सकता है जिसमें एतद द्वारा इस उद्देश्य के लिए 18 सदस्यों द्वारा आयोजित होगा।

विघटन

27. (क) संस्थान का विघटन और इसके मामलों का समायोजन 1860 के अधिनियम XXI की धारा 13 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) संस्थान का समापन या विघटन होने पर, इसके सभी ऋण और देनदारियों और किसी भी संपत्ति की संतुष्टि के बाद, जो भी रहेगा, उसी के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा या संस्थान या इसे किसी भी सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी, लेकिन "समान लक्ष्य और उद्देश्य वाले कुछ अन्य धर्मार्थ कार्य में हस्तांतरण करने के शर्तके आधार पर" 1860 के अधिनियम XXI की धारा 14 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निपटान किया जाएगा।

1860 के अधिनियम XXI को आवेदन करना

28. 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के सभी प्रावधान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रावधान के अनुसार इस संस्थान पर लागू होंगे।

हम, अधोहस्ताक्षर, 'राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान' के शासी परिषद के सदस्यों में से तीन, एतद द्वारा प्रमाणित करते हैं कि यह दिनांक 23 फ़रवरी 1976 को आयोजित और 26 मार्च, 1976 को पुष्टि की गई विशेष आम सभा की बैठक में पारित हमारे नियमों और विनियमों की सही प्रतिलिपि है।

1. श्री जे.आर. भाटिया ह/-
   5, सुंदर नगर
   नई दिल्ली...

2. प्रो. पी.बी. देसाई
   ए/5, आर्थिक विकास संस्थान
   दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

3. श्री पी.एल. वर्मा

28, सेक्टर 5
चंडीगढ़

राष्ट्रीय प्रतीक

सोसायटी के पंजीकरण का प्रमाण पत्र:

1860 का अधिनियम XXI

1976 की सं. 5/7932

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 1860 की एसआर अधिनियम XXI की धारा 12क के अनुसरण में सोसायटी का नाम शहरी कार्य संस्थान से बदलकर "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" रखा गया है।

इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत किया गया है।

नई दिल्ली में मेरे द्वारा 25 जून, 1976 को सहमति दी गई।

पंजीयन शुल्क

का

पंजीयन शुल्क 1/- रुपये का भुगतान किया है।

फर्मों और
समितियों के
रजिस्ट्रार की
मोहर

दिल्ली

ह/-
समितियों का रजिस्ट्रार:
दिल्ली प्रशासन
नई दिल्ली

नोट: "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" को मूल रूप से 12 जनवरी 1976 को पंजीकृत किया गया।